

छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक 16/10/2020

कमांक- एफ 2-10/2013/56/इ.सू.प्रौ.

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
3. संभागीय आयुक्त, समस्त, छत्तीसगढ़
4. कलेक्टर, समस्त, छत्तीसगढ़

विषय-वीडियो कांफ्रेन्सिंग प्रणाली के उपयोग बावत।

संदर्भ-मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक 141/मु.स./2004 दिनांक 15/10/04।

संदर्भित पत्र के तारतम्य में अनुरोध है कि वर्ष 2020 के लिए विभागीय वीडियो कांफ्रेन्सिंग हेतु समय-सारिणी इस पत्र के संलग्न भेजी जा रही है। यह वीडियो कांफ्रेन्सिंग नया रायपुर मंत्रालय के एम-1/10 में स्थापित वीडियो कांफ्रेन्सिंग कक्ष से की जायेगी।

प्रत्येक विभाग के प्रमुख एवं अधीनस्थ अधिकारीगण इस प्रणाली का उपयोग कर जिला/ संभागीय एवं अन्य अधिकारियों से निर्धारित दिवस को दोपहर 2.00 बजे से वीडियो कांफ्रेन्सिंग करेंगे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(के सी देवसेनापति)

विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग


कमांक- एफ 2-10/2013/56/इ.सू.प्रौ.

नवा रायपुर, दिनांक 16/10/2020.

प्रतिलिपि-

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़, मंत्रालय अटल नगर
 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर
 3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन आई सी, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।



विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागवार जिले से वीडियो काफेसिंग की समय सारिणी वर्ष 2020

क्र.सं.	विभाग का नाम	माहवार वीडियो काफेसिंग की तिथि (दशयि अनुसार प्रति दिन दोपहर 2 बजे से)															
		जनवरी 2020	फरवरी 2020	मार्च 2020	अप्रैल 2020	मई 2020	जून 2020	जुलाई 2020	अगस्त 2020	सितम्बर 2020	अक्टूबर 2020	नवम्बर 2020	दिसम्बर 2020				
1	सामान्य प्रशासन विभाग एवं जन शिकायत निवारण	1	1	2	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	गृह विभाग (पुलिस, जेल एवं परिवहन)	2	3	3	3	2	2	5	2	2	2	2	3	3	3	3	2
3	राजस्व एवं पुनर्वास विभाग, श्रम एवं वाणिज्यिक कर	3	4	4	4	4	3	6	3	3	3	3	5	4	4	3	3
4	वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग	4	5	5	7	5	4	7	4	4	4	4	6	5	4	4	4
5	वन विभाग	6	6	6	8	6	6	10	5	5	5	7	7	6	5	5	5
6	कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन, मछलीपालन विभाग एवं ग्रामोद्योग विभाग	7	7	7	9	8	8	11	7	7	7	8	8	7	7	7	7
7	वाणिज्य, उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग	8	10	9	13	11	9	13	8	8	8	8	9	9	9	9	8
8	खनिज साधन विभाग एवं पर्यटन विभाग	9	11	11	15	12	10	14	9	9	9	9	12	10	9	9	9
9	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	10	12	12	16	13	11	17	10	10	10	13	13	11	10	11	10
10	जल संसाधन, आयुक्त विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	13	13	13	17	14	12	18	11	11	11	14	14	12	11	11	11
11	स्कूल शिक्षा विभाग, जनसंपर्क विभाग, ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	14	14	16	20	15	15	19	14	14	14	15	15	13	14	14	14
12	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	15	17	17	21	18	16	20	15	15	15	16	16	16	15	15	15
14	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	16	18	18	22	19	17	21	16	16	16	19	19	17	16	16	16
14	नगरीय विकास विभाग, आवास पर्यावरण एवं पर्यावरण	17	19	19	23	20	18	22	17	17	17	20	20	18	17	17	17
15	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन	20	20	20	24	21	19	24	18	18	18	21	21	19	19	19	21
16	उच्च शिक्षा विभाग	21	22	23	25	22	22	25	21	21	21	25	25	20	20	22	22
17	महिला एवं बाल विकास विभाग, संस्कृति, खेल एवं युवक कल्याण विभाग	22	24	24	27	23	23	26	22	22	22	26	26	23	23	23	23
18	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	23	25	25	28	26	24	28	23	23	23	27	27	24	24	24	24
19	पंचायत एवं समाज कल्याण	24	26	26	29	27	25	29	24	24	24	28	28	26	26	25	26
20	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	25	27	27	30	28	26	29	25	25	25	29	29	27	27	26	28
21	सहकारिता विभाग	27	28	28		29	27	27	31	29	27	27	28	28	27	27	29
22	पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग	28	29	30		30	29	28		30	29	28	29	28	28	28	30

05/11/20